

ओ-17035/4/2019-एचएफए-IV (एफटीएस-9060229)

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(एचएफए-IV अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

दिनांक: 28th मार्च, 2019

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
आरटीआई कार्य दल, नजदीक रेलवे स्टेशन,
बबराला(संभल),
उत्तर प्रदेश-243751.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के एचएफए-1 अनुभाग से दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए-43/53/2018-एचएफए-1-यूडी/एफटीएस-9046117 के द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा (6)3 के तहत अन्तरित और सीपीआईओ एण्ड यूएस (एचएफए-IV) के कार्यालय में प्राप्त, दिनांक 20.02.2019 के आपके आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जो पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सीएलएसएस घटक से संबंधित सूचना प्रदान करने के संबंध में है। यथा उपलब्ध सूचना बिंदुबार नीचे दी जा रही है:-

बिंदु 1 से 4 : भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) ने दिनांक 25 जून 2015 को सभी पात्र शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई (यू) मिशन का शुभारंभ किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

विवरण	इडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी-I	एमआईजी-II
पारिवारिक आय (₹)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
अधिकतम ऋण राशि के लिए सब्सिडी की पात्रता (₹)	6,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000
अधिकतम ऋण कार्यकाल	20 वर्ष			
फर्शी क्षेत्र (वर्ग मीटर)	30	60	160	200
ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष	6.50%		4.00%	3.00%
अधिकतम ब्याज सब्सिडी (₹)	2,67,280		2,35,068	2,30,156
ऋण का उद्देश्य	खरीद , पुनःखरीद, निर्माण, विस्तार,		खरीद ,पुनःखरीद, निर्माण,	

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17.06.2015 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण तथा एमआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण विचारार्थ अनुमत्य हैं बशर्ते कि वे इन स्कीमों के अंतर्गत अन्यथा पात्र हों।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के घटक ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को सब्सिडी जारी करने हेतु दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेप्मेंट कॉरपोरेशन लि0 की पहचान की है। केन्द्रीय नोडल एजेंसियों ने मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋण सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक, किसी भी प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) [बैंक, एचएफसी आदि] से संपर्क कर सकता है जिसने इन दो केन्द्रीय नोडल एजेंसी (भरे हुए मूल्यांकन फार्म की प्रति के साथ अथवा उसके बिना, जिसमें सर्वेक्षण आईडी/मूल्यांकन आईडी दर्शाया गया हो) में से किसी एक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवेदक को संबंधित बैंक/एचएफसी की "सम्यक तत्परता" के तहत यथा निर्धारित दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होता है बशर्ते कि वह पीएमएवाई (शहरी) मिशन के स्कीम दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हो। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली उन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट <http://mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php> तथा इसके साथ-साथ एनएचबी तथा हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट का परिश्रान लि. (हडको) की वेबसाइट पर भी दी गई है।


आवेदक को सीएलएसएस के तहत आवास ऋण के लिए योग्य माने जाने पर संबंधित पीएलआई उनके आवेदन को केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए भेज देगा, जिसके साथ उसने ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएनए छानबीन के बाद पीएलआई के माध्यम से आवेदक के आवास ऋण खাতে में सीधे ब्याज सब्सिडी को जारी करेगा। चूंकि ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन पीएलआई के माध्यम से सीएनए को प्रस्तुत किया जाता है, सब्सिडी जारी करने में किसी भी विलंब के मामले में, आवेदक विलंब की सूचना/कारण के लिए संबंधित पीएलआई से संपर्क कर सकता है।

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस और एमआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु पीएमएवाई (यू), मिशन के दिशानिर्देशों और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट के <http://mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php> और <http://mohua.gov.in/cms/hfaguidelinesmanagement.php> लिंक पर उपलब्ध है।

2. यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री ऋषि कुमार,
निदेशक(एचएफए-4),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 222, 'जी' विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

भवदीय,



(राहुल माहना)

अवर सचिव एवं सीपीआईओ (एचएफए-4)

दूरभाष-23061285

प्रति प्रेषित

- i. श्री जगदीश प्रसाद, अवर सचिव (एचएफए-1) एवं सीपीआईओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।
- ii. अनुभाग अधिकारी (पीआई प्रकोष्ठ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।
- iii. अनुभाग अधिकारी (आईटी सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।